FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 05/09/2025 13:05 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/09/2025 **Time (समय):** 12:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 05/09/2025 13:02 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** गोपाल सैनी

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री दीवान चन्द सैनी

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**म0न0 617 जगदीश कालोनी बल्लबगढ़, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**म0न0 617 जगदीश कालोनी बल्लबगढ़, FARIDABAD, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9310107420

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नरेश कुमार JE HUDA		Father's Name:	1. HUDA फरीदाबाद, FARIDABAD,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	रिश्वत राशि 1,50,000 रुपये	1,50,000.00

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में निरीक्षक थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो फरीदाबाद मण्ड़ल फरीदाबाद। श्रीमान जी निवेदन यह है कि प्रार्थी गोपाल सैनी पुत्र श्री दीवान चन्द सैनी निवासी म0न0 617 जगदीश कालोनी बल्लबगढ जिला फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैनें महालक्ष्मी फर्म के मालिक अग्रसैन शर्मा के साथ 4 शराब के ठेके देशी व अंग्रेजी अशोका इंकलेव जाट चैक बजरंग चैक व गाँव मलेरना पर ले रखे है तथा 2 शराब के ठेके स्कोचटैप के मालिक पवन कुमार के साथ ऊँचा गाँव व मलेरना रोड़ पर ले रखे है। जिनमें से 3 दुकाने (अशोका इंकलेव मलेरना गाँव व शाहपुरा जाट) चैक हुड्डा विभाग सैक्टर-12 फरीदाबाद से किराए पर ले रखी है जो 5-6 साल से लगातार इन दुकानों में शराब के ठेके चले आ रहे है लगभग सवा महीने से मैंने हुड्डा विभाग से उपरोक्त तीनों दुकाने शराब ठेका चलाने के लिए किराए पर ले रखी

है। इसके अतिरिक्त 3 ठेके (बजरंग चैक ऊँचा गाँव व मलेरना रोड़) पर किराए पर दुकान लेकर चला रहा हू। नरेश कुमार जे0 ई0 हुड्डा से मेरी बात हुई जो की सैक्टर-12 फरीदाबाद ने ग्रीन में बने मेरे 2 शराब के ठेके (शाहपुरा जाट चैक व मलेरना) को हटाने के लिए हुड्डा विभाग ने नोटिस जारी हुए थे जिस पर नरेश कुमार जे0 ई0 हुड्डा विभाग से मेरी बातचीत हुई थी जिसमें मेरे से दुकान ना तोड़ने की एवज मे प्रत्येक दुकान के 3 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी जो मेरे द्वारा रिश्वत ना देने पर दिनांक 19-08-2025 को नरेश कुमार जे0 ई0 हुड्डा विभाग ने मेरे 2 शराब के ठेके (शाहपुरा जाट चैक व मलेरना गाँव) जो तोड़ दिये थे उसके बाद नरेश कुमार जे0ई0 मेरे ठेके पर मेरे से बार-बार मिलता और मेरे पर दबाव बनाकर कहता की आपने जो (अशोका इंकलेव व ऊँचा गाँव) में शराब के ठेके उनको मैं नहीं तोडुगा। जिसके एवज में आपको प्रत्येक दोनों दुकानो के 3-3 लाख रूपये देने होंगे। मैनें और लोगो में सवातीन-सवातीन लाख रूपये प्रत्येक दुकानों के लिए है। नरेश कुमार जे0ई0 ने मेरे ऊपर काफी दवाब बनाया फिर मैंने कहा मैं अपने पार्टनर से बात करके बताता हुँ उसके बाद नरेश जे0ई0 ने मेरे से 5 लाख रूपये की रिश्वत की माँग की और कहा की मैं आपकी दोंनो दुकानों पर नहीं आऊगां। दिनांक 03-09-2025 को नरेश कुमार जे0ई0 ने मुझे फोन करके पैट्रोल पम्प सैक्टर-12 बुलाया था जहां पर नरेश कुमार जे0ई0 ने मुझसे मेरी शराब की दोंनो दुकाने ना तोड़ने के नाम पर 6 लाख रिश्वत मांगी थी जो मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर 5 लाख रूपये में बातचीत तय हो गई। नरेश कुमार जे0ई0 ने दिनांक 03 -09-2025 को मुझसे 50000/- रूपये एडवांस में ले लिए थे। जिसकी मैंने रिकार्डर से रिकार्डीग कर ली थी। कल दिनांक 04-09-2025 को मैं हुड्डा आफिस फरीदाबाद गया था। जहां पर नरेश कुमार जे0ई0 कार्यालय में हाजिर नहीं मिला। मैंने अपने मोबाईल में नरेश कुमार जे0ई0 को फोन किया। उन्होंने बतलाया की मैं सैक्टर-19, फरीदाबाद में ड्यूटी पर हूँ । आप कल पुरे रूपये लेकर कार्यालय के बाहर आ जाना। जिसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है। जो मैं बाद में पेश कर दूंगा। आज नरेश कुमार जे0ई0 हुड्डा विभाग का मेरे पास बकाया साढ़े चार लाख रूपये लेने के लिए बुलाया है। मैं नरेश कुमार जे0ई0 हुड्डा विभाग सैक्टर-12, फरीदाबाद को रिश्वत नहीं देना चाहता। मेरी नरेश कुमार जे0ई0 से पैसो का लेन-देन नहीं है और ना ही मेरी नरेश कुमार जे0ई0 से कोई रजिंश है। कृप्या करके नरेश कुमार जे0ई0 हुड्डा विभाग फरीदाबाद के खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जाए। Sd/- गोपाल सैनी पुत्र स्व0 श्री दीवान चन्द सैनी, म0न0 617, जगदीश कालोनी बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद। दिनांक 05-09-2025 मोबाईल न0 9310107420 कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान मय गाड़ी सरकारी कार Xcent No. HR12GV9822 सरकारी मय प्राईवेट गाडी मय तफतीशी बैग मय लैपटाप व प्रिन्टर के कार सरकार ड्युटी में श्री सत्यपाल सिंह बकील के कार्यालय के सामने सर्विस रोड सैक्टर 2 बल्लभगढ जिला फरीदाबाद मौजूद था कि श्री गोपाल सैनी S/o श्री दीवान चन्द सैनी R/o मकान नं. 617, जगदीश कॉलौनी बल्लभगढ जिला फरीदाबाद मुलाकि हुआ। मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को साथ लेकर श्री सत्यपाल सिंह वकील के कार्यालय में बैठकर धारा 105 BNSS की अनुपालना करते हुए शिकायतकर्ता ने एक हस्त लिखित शिकायत नरेश कुमार JE हुड्डा सैक्टर 2, फरी० के खिलाफ बराये मांगने रिश्वत मन निरीक्षक को पेश की, हालात उच्च अधिकारियों को बतलाये गये। मन निरीक्षक ने रेडिंग पार्टी तैयार की जिसमें ASI बृजपाल नं. 438/PWL, HC चरणजीत 387/MWT, HC युद्धवीर नं. 1753/SPT, HC सोनू सिंह 686/FBD, EHC प्रीतम सिंह 2076/FBD, सि० ओमबीर न० 2917/GGM को शामिल किया गया। समय कम होने के कारण शिकायकर्ता से रिश्वत में दी जाने वाली राशि मु० 1,50,000/- रु० लेकर नोट इन्वेट्री तैयार कराने के लिए दी गई। उच्च अधिकारी के आदेशानुसार श्री अंकित भारद्वाज XEN, FMDA, फरीदाबाद को मोबाईल पर सम्पर्क करके अपने साथ एक सरकारी कर्मचारी लेकर श्री सत्यपाल सिंह एडवोकेट के कार्यालय पहुंचने बारे कहा गया । कुछ समय बाद श्री अंकित भारद्वाज XEN अपने साथ श्री अमित चौधरी JE, FMDA फरीदाबाद को साथ लेकर हाजिर आये है जिनको हालात से अवगत कराकर श्री अंकित भारद्वाज XEN को बतौर राजपत्रित अधिकारी व श्री अमित चौधरी J.E. को बतौर छाया गवाह रेडिंग पार्टी में शामिल करके राजपत्रित अधिकारी व छायागवाह का परिच्य शिकायतकर्ता व रेडिंग पार्टी से आपस में कराया गया। मन निरीक्षक ने राजपत्रित अधिकारी व छायागवाह के सामने शिकायतकर्ता से रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा, जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने पास से 500-500 रु० के 300 नोट पेश किये। जिनकी नोट इनवेंटरी पहले ही तैयार की जा चुकी है। मन निरीक्षक ने फिनोल पैथालीन पाऊडर उक्त नोटो पर लगाने के बाद रिश्वत में दी जाने वाली राशी व शिकायतकर्ता का रीकॉर्डर व मोबाईल हवाले शिकायतकर्ता किया गया। नोट इनवेंटरी का फर्द पेशगी व हवालगी नोट करन्सी अलग से तैयार की गई। डेमोनसट्रेसन घोल नियमानुसार अलग से तैयार किया गया। जो शिकायत का गहनता से अध्ययन व रिकार्डर में रिश्वत से सम्बन्धित की रिकार्डिंग सुनने के पश्चात् जुर्म जेर धारा 7 PC Act. का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकद मा बादस्तEHC प्रीतम सिंह नं. 2076/PBD को अभियोग अंकित करने

के लिए थाना भेजी जा रही हैं। अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल वाहक के विना किसी देरी के इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा मे भिजवाई जाये। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मौका पर भिजवाई जाये। मैं अभियोग/रेड की आगामी कार्यवाही में व्यस्त होता हूँ। अज –सरविस रोड सैक्टर-2 बल्लभगढ जिला फरीदाबाद Sd/- (शोरणलाल) निरीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद, AT 11.40 . अज थाना: हस्ब आमद तहरीर थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा न० 25 दिनांक 05.09.2025 धारा 7 PC ACT, 1988 थाना SVACB/FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हज़ा की स्पेशल EHC प्रीतम सिंह नं. 2076/PBD के इलाका मजिस्ट्रेट साहब व उच्च अधिकारियो को भेजी जा रही है यह मुकदमा निरीक्षक राजकुमार की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है व इस मुक़दमे का असल अनुसन्धान अधिकारी निरीक्षक शोरण लाल PS/SVACB/FBD है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SHORAN LAL **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 113GGN **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MUKESH GIRI

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 806FBD

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.